न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 103 सन 2020

अनवान :–

1. हनुमान पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बलवन्त पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. गिरदावरी पुत्री सुरजारामजाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
5. निको पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
6. विधा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
7. सीमा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
8. चानणराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
9. जयपाल पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
10. निहालसिह पुत्र अमरसिहजाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
11. दशरथ पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
12. विमला पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
13. विधा पत्नी अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
14. भजोदेवी पुत्री भूराराम पत्नी जयकिशन जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
15. चावली पुत्री भूराराम पत्नी अर्जन जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
16. सुगनी माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
17. मनीराम माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
18. बिरबल माता हीरादवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
19. प्रमेश्वरी माता हीरोदवी पुत्री भूराराम पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर तहसील नोहर।
20. चन्दो पुत्री माता हीरादेवी पत्नी भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. दलीप माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. हेतराम माता हीरादेवी पत्नी भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनजी तहसील नोहर जिला हनुमानढ।
23. गुडडी माता हीरादेवी पत्नी भुराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. हरिसिह माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. रूकता माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
26. साहबराम माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
27. भादरराम माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. सन्तलाल माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
29. कमला माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
30. बनवारी माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

31. दलीप कुमार माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
32. लखीराम माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
33. हनुमान माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
34. ओमप्रकाश माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
35. कृष्ण माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
36. सोहनलाल माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
37. रेशमा माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 47/49 की कुल 5.8170हैक्ट सुरजाराम 1/4 हिस्सा, अमरसिह 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा, तखी पत्नी भूराराम 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

सुरजाराम अमरसिह, एवं तखी पत्नी भूराराम का देहानत हो चुका है अमरसिह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है अमरसिह के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है। तखी देवी के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीया सजरा खानदान के अनुसार है।

सुरजाराम अमरसिह तखी पत्नी भूराराम के देहान्त होने पर उनके हक हिस्सा की भूमि उनके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो वादी की बहन एव सुरजाराम की पुत्रीया है, प्रतिवादी संख्या 12 ता 37 वादी की बहन एवं अमरसिह, हीरादेवी, सजनादेवी, अनकोरी के पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7, 12 ता 37 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 8 प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतितवादी संख्या 1 ता 3, 8, 9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की अमरसिह, सुरजाराम तखी पत्नी भूराराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 8, 9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज सुरजाराम, अमरसिह, चानणराम व तखी पत्नी भूराराम के नाम से दर्ज है इनमें से सुरजाराम अमरसिह तखीदेवी पत्नी भूराराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

का देहान्त हो चुका है सुरजाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अमरसिह के जायज वारिसान 9 ता 13 है तखी पत्नी भूराराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 है इसप्रकार सुरजाराम अमरसिह तखी के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,12 ता 37 ने निवेनद किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 , 9 ता 11 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 38 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 47/49 की कुल 5.8170हैक सुरजाराम 1/4 हिस्सा , अमरसिह 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा , तखी पत्नी भूराराम 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सुरजाराम अमरसिह , एवं तखी पत्नी भूराराम का देहानत हो चुका है अमरसिह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है अमरसिह के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 है। तखी देवी के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया एवं पुत्र/पुत्रीया सजरा खानदान के अनुसार है।

सुरजाराम अमरसिह तखी पत्नी भूराराम के देहान्त होने पर उनके हक हिस्सा की भूमि उनके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो वादी की बहन एवं सुरजाराम की पुत्रीया है , प्रतिवादी संख्या 12 ता 37 वादी की बहन एवं अमरसिह , हीरादेवी , सजनादेवी , अनकोरी के पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,12 ता 37 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतित्तवादी संख्या 1 ता 3 ,8 ,9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 47/49 की कुल 5.8170हैक सुरजाराम 1/4 हिस्सा , अमरसिह 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा , तखी पत्नी भूराराम 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वज सुरजाराम , अमरसिह , चानणराम व तखी पत्नी भूराराम के नाम से दर्ज है इनमें से सुरजाराम अमरसिह तखीदेवी पत्नी भूराराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

का देहान्त हो चुका है सुरजाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अमरसिह के जायज वारिसान 9 ता 13 है तखी पत्नी भूराराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 है इसप्रकार सुरजाराम अमरसिह तखी के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,12 ता 37 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 , 9 ता 11 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,12 ता 37 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,8 9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,12 ता 37 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खातासंख्या 47/49 की कुल 5.8170हैक्ट मे से अगरसिह सुरजाराम पि0 भुराराम , तखी पत्नी भुराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सयुक्त तौर से 1.939हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1.939हैक्ट प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 सयुक्त तौर से 1.939हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हनुमान पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बलवन्त पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. गिरदावरी पुत्री सुरजारामजाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
5. निको पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
6. विधा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
7. सीमा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
8. चानणराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
9. जयपाल पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
10. निहालसिह पुत्र अमरसिहजाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
11. दशरथ पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
12. विमला पुत्री अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
13. विद्या पत्नी अमरसिह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
14. भजोदेवी पुत्री भूराराम पत्नी जयकिशन जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
15. चावली पुत्री भूराराम पत्नी अर्जन जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
16. सुगनी माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
17. मनीराम माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
18. बिरबल माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
19. प्रमेश्वरी माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर तहसील नोहर।
20. चन्दो पुत्री माता हीरादेवी पत्नी भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. दलीप माता हीरादेवी पुत्री भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. हेतराम माता हीरादेवी पत्नी भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानढ।
23. गुड्डी माता हीरादेवी पत्नी भूराराम पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. हरिसिह माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
25. रूकता माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
26. साहबराम माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
27. भादरराम माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
28. सन्तलाल माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
29. कमला माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

30. बनवारी माता सजना देवी पत्नी भूराराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
31. दलीप कुमार माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
32. लखीराम माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
33. हनुमान माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
34. ओमप्रकाश माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
35. कृष्ण माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
36. सोहनलाल माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
37. रेशमा माता अनकोरी पुत्री भूराराम पत्नी हीरीराम जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 103 सन 2022 निर्णय दिनांक– 25/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा के खातासंख्या 47/49 की कुल 5.8170हैक्ट में से अमरसिंह सुरजाराम पि0 भुराराम , लखी पत्नी भुराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सयुक्त तौर से 1.939हैक्ट , प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1.939हैक्ट प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 सयुक्त तौर से 1.939हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner